

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25 जनवरी, 2019 को सम्पन्न भागीरथी ईको-सेंसिटिव जोन की मॉनीटरिंग समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में संलग्न उपस्थिति पत्रक में अंकित महानुभावों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

2. मॉनीटरिंग कमेटी के अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए नमिति के सदस्य सचिव/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के द्वारा समिति के अध्यक्ष, सह अध्यक्ष एवं अन्य नामित सदस्यों के साथ-साथ उपस्थित विभागीय अधिकारियों का स्वागत करते हुए यह अवगत कराया गया कि समिति की गत बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 2018 का कार्यवृत्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निर्गत किया गया था जिस पर किसी सदस्य की ओर से कोई अन्यथा टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। इस पर समिति के सह अध्यक्ष द्वारा यह उल्लेख किया गया कि निर्गत किए गये कार्यवृत्त का स्तर प्रशंसनीय है, किन्तु इसे निर्गत होने में काफी विलम्ब हुआ है। अतः भविष्य में बैठक के उपरान्त यथाशीघ्र कार्यवृत्त निर्गत किया जाना चाहिए। तदक्रम में, पूर्व बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया और समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि भविष्य में समिति से सम्बन्धित बैठक का कार्यवृत्त यथासंभव शीघ्र निर्गत किया जाय।

3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/सदस्य सचिव, मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा उल्लेख किया गया कि आज की बैठक में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई., विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग, आई.टी.बी.पी., बी.आर.ओ., पेयजल निगम, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं विन्धिया टेलीलिव्स लि. आदि विभागों/कार्यदायी संस्थाओं के प्रस्ताव मॉनीटरिंग कमेटी के विचारार्थ प्राप्त हुए हैं जिनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जायेगा। इस पर समिति के सह अध्यक्ष द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि सर्वप्रथम मॉनीटरिंग कमेटी के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट दायित्व/कार्यक्षेत्र/अधिकारिता पर विचार करना उचित होगा। तदक्रम में, समिति की अपेक्षानुसार सचिव, वन विभाग के द्वारा भागीरथी ईको सेंसिटिव जोन के गठन से सम्बन्धित मूल अधिसूचना में निहित मॉनीटरिंग कमेटी से सम्बन्धित प्राविधान एवं मॉनीटरिंग कमेटी के गठन सम्बन्धी भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना में निहित Terms of Reference को पढ़कर स्थिति स्पष्ट की गई जिस पर समिति के मा. अध्यक्ष एवं सह अध्यक्ष सहित माननीय सदस्यगण श्री महेन्द्र कुंवर, सुश्री मल्लिका भनौत, डॉ. एस.सी. कटियार आदि के द्वारा अपने मत व्यक्त किये गये। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिए गये :-

(i) भागीरथी ईको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना में जिन गतिविधियों को Regulated Category में सम्मिलित किया गया है, उनसे सम्बन्धित तथा भागीरथी ईको सेंसिटिव जोन सम्बन्धी भारत सरकार को प्रेषित जोनल मास्टर प्लान में समाविष्ट योजनाओं के सम्बन्ध में मॉनीटरिंग कमेटी से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, वरन् ऐसी योजनाओं को सम्बन्धित विभाग/या संस्था द्वारा वन अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम अथवा अन्य विषय संगत अधिनियम/नियम/दिशा-निर्देश आदि में निहित प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया कर ली जाय और मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक में ऐसे प्रस्तावों की एक सूची मॉनीटरिंग कमेटी के मात्र संज्ञानार्थ प्रस्तुत की जाय। तथापि, ऐसी योजनाओं का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन उपरान्त क्रियान्वयन के चरण में ईको सेंसिटिव जोन सम्बन्धी अधिसूचना तथा प्रस्ताव की स्वीकृति/अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन की स्थिति का मूल्यांकन मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा अवश्य किया जा सकेगा।

(ii) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भागीरथी ईको सेंसिटिव जोन के क्षेत्रान्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के क्रियान्वयन में अथवा Permissible Category की गतिविधियों के क्रियान्वयन के अन्तर्गत अधिसूचना के प्राविधानों अथवा संगत नियमों के अन्तर्गत से सम्बन्धित प्रकरण अथवा अधिसूचना में निर्दिष्ट

गतिविधियाँ (Prohibited Category activities) में उल्लिखित कार्यों का स्थल पर किए जाने की स्थिति प्रकाश में आने पर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/सदस्य सचिव द्वारा मॉनीटरिंग कमेटी की अगली बैठक में इस प्रकरणों का विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

- (iii) भागीरथी ईको सेंसिटिव जोन के गठन सम्बन्धी अधिसूचना में ही ईको सेंसिटिव जोन के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यटन आदि जिन विषयों में मॉनीटरिंग कमेटी का प्रत्यक्ष दायित्व स्पष्ट किया गया है, उनके सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/सदस्य सचिव द्वारा मॉनीटरिंग कमेटी की प्रत्येक अगली बैठक में नियमित एजेण्डा के रूप में समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जाय।

4. उक्त प्रस्तर-3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक में उपस्थित लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई., विश्वबैंक लोक निर्माण विभाग, आई.टी. वी.पी., वी.आर.ओ., पेयजल निगम, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं विन्दिद्या टेलीलिक्स लि. आदि उपस्थित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपनी प्रस्तावित योजनाओं के सम्बन्ध में भागीरथी ईको सेंसिटिव जोन के गठन सम्बन्धी अधिसूचना में अथवा अन्य संगत अधिनियम/नियम/दिशा-निर्देश में विहित मापदण्ड एवं प्रक्रिया आदि का अनुपालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ कर लें और वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी कुछ ऐसे प्रकरण जो कि भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर लम्बित हैं, सम्बन्धित याचक विभाग द्वारा मॉनीटरिंग कमेटी के उक्त निर्णय से क्षेत्रीय कार्यालय को अवगत कराकर उनसे नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अनुरोध कर लिया जाय।

5. भागीरथी ईको सेंसिटिव जोन की मूल अधिसूचना तथा मॉनीटरिंग कमेटी के गठन की अधिसूचना में मॉनीटरिंग समिति के संदर्भ में परिभाषित दायित्व के दृष्टिगत समिति सदस्य सुश्री मल्लिका भनौत के प्रस्ताव पर समिति द्वारा ईको सेंसिटिव जोन के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की स्थिति पर चर्चा की गई। इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में नगर पालिका परिषद बाडाहाट (उत्तरकाशी) द्वारा तेखला में कूड़ा डम्प किया जाता रहा है, जिस पर मा. उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी तथा कन्सेप्शन स्थित कूड़ा निस्तारण हेतु चयनित स्थल पर भी मा. उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश दिया गया है जिससे शहर में कूड़ा निस्तारण हेतु अत्यन्त कठिनाईयों हो रही है। सुश्री मल्लिका भनौत, सदस्य मॉनीटरिंग समिति द्वारा जिला प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से स्थलीय चिन्हीकरण हेतु सहयोग करने की ईच्छा व्यक्त की गई तथा इस सम्बन्ध में टाऊन प्लानिंग विभाग के सुझाव भी सम्मिलित कर एक स्थाई निष्कर्ष पर आने का सुझाव दिया। क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि डॉ. एस.सी.कटियार द्वारा सेनेटरी लैंड फिल साईट के चिन्हीकरण/विकास पर जोर दिया गया। माननीय सह अध्यक्ष द्वारा मा. उच्च न्यायालय में उक्त के सम्बन्ध में उचित पैरवी कर अनुतोष प्राप्त करने का सुझाव देते हुए सदस्य सचिव/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को शहरी विकास विभाग के साथ संयुक्त रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी युक्त उपकरण तथा स्थलीय चिन्हीकरण किये जाने के निर्देश दिये गये। चर्चा उपरान्त अध्यक्ष, मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देश दिए गए कि बैठक में प्रस्तुत किए गए सुझावों के आलोक में शीघ्र स्थानीय स्तर पर स्थल चयन की कार्यवाही पूर्ण करायें और यदि ठोस अपशिष्ट निस्तारण की योजना हेतु वन भूमि लिया जाना अपरिहार्य हो तो तदनुसार भी यथाप्रक्रिया अग्रेत्तर कार्यवाही शीघ्र करना सुनिश्चित करें।

सुश्री मल्लिका भनोत, सदस्य मॉनीटरिंग समिति द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि वी.आर.ओ. द्वारा मकेंडमिंग हेतु दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है तथा उन पर पूर्व में अर्थदण्ड भी लगाया गया जिसके सम्वन्ध में तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने हेतु समिति की गत बैठक में अपेक्षा की गई थी। तदक्रम में वी.आर.ओ. के प्रतिनिधि द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में ईको सेंसिटिव जोन के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं चल रहा है और भविष्य में जो कार्य प्रस्तावित हैं उनके क्रियान्वयन के दौरान स्वीकृति/अनुमोदन की शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सुश्री मल्लिका भनोत द्वारा इस स्थिति की ओर भी समिति का ध्यान आकृष्ट किया गया कि एन.एच.आई.डी.सी.एल. द्वारा कराये जा रहे कार्य के अन्तर्गत नदी का प्रवाह ही मोड़ दिया गया है जिसके सम्वन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा स्पष्ट किया गया कि चूँकि मार्ग/सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य नदी के तल से किया जाना था, अतः नदी के प्रवाह को अस्थायी रूप से (River Training) डायवर्ट किया गया है और गतिमान कार्य पूर्ण होने जाने के उपरान्त नदी का प्रवाह पुनः पूर्ववत् किया जायेगा। अध्यक्ष, मॉनीटरिंग समिति द्वारा सदस्य सचिव/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया कि जनपद स्तर पर गतिमान कार्यों पर कड़ी नजर रखी जाय तथा ऐसे प्रकरण जिनमें ईको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना, मा. न्यायालय/मा. हरित प्राधिकरण के आदेश तथा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की अवहेलना हो, को मॉनीटरिंग कमेटी की प्रत्येक अगली बैठक में कृत कार्यवाही विषयक आख्या सहित प्रस्तुत करें।

7. अन्त में, मॉनीटरिंग समिति के अध्यक्ष, सह अध्यक्ष, सदस्यगण तथा प्रतिभागी अधिकारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही पूर्ण हुई।

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव/अध्यक्ष,
भागीरथी ईको सेंसिटिव जोन।

संख्या : 6517/21-15 (2016-17)/दिनांक फरवरी 11, 2019

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अध्यक्ष, मॉनीटरिंग समिति को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. श्री हेम पाण्डे, सह अध्यक्ष, मॉनीटरिंग कमेटी।
3. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री महेन्द्र कुंवर, सदस्य, मॉनीटरिंग कमेटी, हार्क, नौगांव, उत्तरकाशी।
6. सुश्री मल्लिका भनोत, सदस्य, मॉनीटरिंग कमेटी।
7. डॉ. एस.सी.कटियार, प्रतिनिधि, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार।
8. डॉ. वी.पी.उनियाल, वैज्ञानिक (जीव), भारतीय वन्य जीव संस्थान।
9. श्री पी.के.पात्रो, वन संरक्षक, यमुना/भागीरथी वृत्त।
10. डॉ. अंकुर कंसल, उत्तराखण्ड पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
11. श्री प्रमोद कुमार, मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक।
12. श्री मुकेश मोहन, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
13. श्री एस.सी.श्रीवास्तव, कमाण्डर 36 वी.आर.टी.एफ.।
14. श्री राजीव गोस्वामी, अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. उत्तरकाशी।
15. श्री आर.एस.खत्री, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी।
16. श्री जी.पी.सिलवाल, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तरकाशी।

(आशीष कुमार चौहान)
जिलाधिकारी/सदस्य सचिव, मॉनीटरिंग कमेटी,

उपस्थिति पत्रक

- (1) श्री हेम पाण्डे, सह अध्यक्ष, मॉनीटरिंग कमेटी।
- (2) श्री महेन्द्र कुंवर, सदस्य, मॉनीटरिंग कमेटी, हाक, नौगाँव, उत्तरकाशी।
- (3) सुश्री मल्लिका भनात, सदस्य, मॉनीटरिंग कमेटी।
- (4) श्री आशीष चौहान, सदस्य सचिव/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- (5) डॉ.रणवीर सिंह, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- (6) श्री अरविन्द सिंह ह्यौंकी, सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
- (7) डॉ. एस.सी.कटियार, प्रतिनिधि, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार।
- (8) डॉ. योगेश गैरोला।
- (9) श्री टी. लेप्चा।
- (10) डॉ. अंकुर कंसल, उत्तराखण्ड पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- (11) श्री पी.के.पात्रो, वन संरक्षक, यमुना/भागीरथी वृत्त।
- (12) डॉ. वी.पी.उनियाल, वैज्ञानिक (जीव), भारतीय वन्य जीव संस्थान।
- (13) श्री प्रमोद कुमार, मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक।
- (14) श्री मुकेश मोहन, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
- (15) श्री एस.सी.श्रीवास्तव, कमाण्डर 36 बी.आर.टी.एफ.।
- (16) श्री आकाश जोशी, उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- (17) श्री राजीव गोस्वामी, अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. उत्तरकाशी।
- (18) श्री आर.एस.खत्री, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी।
- (19) श्री जी.पी.सिलवाल, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तरकाशी।